रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173] नई दिल्ली, मंगलवार, जून 10, 2014/ज्येष्ठ 20, 1936
No. 173] NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 10, 2014/JYAISTHA 20, 1936

## स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जून, 2014

**फा.सं. 2-15015/30/2012.**—खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का संशोधन करने के लिए कतिपय विनियमों का प्रारूप, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) की अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की अधिसूचना संख्यांक फा. सं. 2-15015/30/2012, तारीख 12 अगस्त, 2013 द्वारा उन व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना वाले राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पूर्व आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ;

और, उक्त राजपत्र की प्रतियां तारीख 12 अगस्त, 2013 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ;

और, केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार कर लिया गया है ;

अतः, अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण उक्त अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ण) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 का संशोधन करने के निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :--

## विनियम

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) संशोधन विनियम, 2014 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति और रजिस्ट्रीकरण) विनियम, 2011 में, खाद्य कारबार के रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति से संबंधित विनियम 2.1 में,-

(अ) खाद्य कारबार के लिए अनुज्ञप्ति से संबंधित उपविनियम 2.1.2 के खंड (1) के पहले परंतुक में,-

(i) "अनुज्ञापन/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को आवेदन करके" शब्दों के पश्चात् "इन विनियमों के प्रारंभ की तारीख से छत्तीस मास के भीतर" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) "इन विनियमों की अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) दूसरे परंतुक में, "अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर "इन विनिमयों के प्रारंभ की तारीख से छत्तीस मास" शब्द रखे जाएंगे ;

(iv) दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह भी कि कठिनाई की दशा में अनुज्ञप्ति/रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त के अनुमोदन से खाद्य सुरक्षा और लोकहित को सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, कोई भी विनिर्दिष्ट शर्त लागू करने के औचित्य को अवधारित करेगा, किसी खाद्य कारबार प्रचालक द्वारा पूर्वोक्त उपबंधों के अननुपालन पर अधिनियम की धारा 55 के अधीन यथाउपबंधित शास्ति लागू होगी ।"

(आ) रजिस्ट्रीकरण और अनुज्ञप्ति की वैधता और नवीकरण से संबंधित उपविनियम 2.1.7 में,-

(i) खंड (4) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु रजिस्ट्रीकरण की दशा में, देरी के प्रत्येक दिन के लिए 100 रु. प्रतिदिन की विलंब फीस लागू नहीं होगी ।"

(इ) विवरणी से संबंधित उपविनियम 2.1.13 में,-

(i) खंड (1) में "अनुज्ञप्तिधारी" शब्द के स्थान पर "विनिर्माता और आयातकर्ता, जिसे कोई अनुज्ञप्ति जारी की गई है," शब्द रखे जाएंगे ;

(ई) अनुसूची 2 में, वार्षिक विवरणी से संबंधित प्ररूप घ- 1 में,-

(i) क्रम सं. 2 में, "पुनः पैकिंग/पुनः लेबल लगाने" शब्दों के स्थान पर "आयातकर्ता" शब्द रखा जाएगा ;

(ii) क्रम सं. 4 में,-

(क) "हथालन किया गया/" और "और निर्यातित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) सारणी के शीर्षक में,-

(अ) स्तंभ (1) से संबंधित "हथालन किए गए/" और "निर्यातित" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(आ) स्तंभ (6) से संबंधित "/निर्यातित" शब्द का लोप किया जाएगा ;

(इ) स्तंभ (7) से संबंधित "आयात करने वाले देश या पत्तन का नाम" शब्दों के स्थान पर "देश का नाम" शब्द रखे जाएंगे ।

डी. के. सामन्तराय, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[सं. विज्ञापन–III/4/असा./191–एफ/14]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक फा.सं.-2–15015/30/2010, तारीख 1 अगस्त, 2011 में प्रकाशित किए गए थे ।

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(FOOD SAFETY AND STANDARDS AUTHORITY OF INDIA)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th June, 2014

**F. No. 2-15015/30/2012.**—Whereas the draft of certain regulations to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, were published as required under clause (o) of sub-section (2) of Section 92 read with section 31 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), vide notification of the Food Safety and Standards Authority of India Number F. No. 2-15015/30/2012, dated the 12th August, 2013 in the Gazette of India, Extraordinary, inviting objections and suggestions from the persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 12th August, 2013;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft regulations have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (o) of sub-section (2) of Section 92 read with section 31 of the said Act, the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following regulations to amend the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, namely:—

**REGULATIONS**

1. (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Amendment Regulations, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Licensing and Registration of Food Businesses) Regulations, 2011, in regulation 2.1, relating to registration and licensing of food business,-

(A) in sub-regulation 2.1.2 relating to license for food business, in clause (1), in the first proviso,—

(i) after the words "license/ registration under these regulations", the words "within thirty six months from the date of commencement of these regulations" shall be inserted;

(ii) the words ", within one year of notification of these Regulations" shall be omitted;

(iii) in the second proviso, for the words, "one year from the date of notification", the words "thirty six months from the date of commencement of these regulations" shall be substituted.

(iv) after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided also that in case of difficulty, the licensing/registration authority with the approval of the Food Safety Commissioner in the State will determine the advisability of applying any specific condition keeping in view the need to ensure safety of food and public interest. Non-compliance with above provisions by a food business operator shall attract penalty as provided under section 55 of the Act."

(B) in sub-regulation 2.1.7, relating to validity and renewal of registration and license,-

(i) after clause (4), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of registration, late fee of Rs. 100 per day for each day of delay shall not be applicable."

(C) in sub-regulation 2.1.13, relating to return,-

(i) in clause (1), for the word "licensee", the words "manufacturer and importer who has been issued a license" shall be substituted;

(D) in Schedule 2, in Form D-1, relating to Annual Return,-

(i) in serial number 2, for the words Re-packing/Re-Labeling" the words "importer" shall be substituted;

(ii) in serial number 4,-

(a) the words "handled/" and "and exported" shall be omitted

(b) in the Table,in the heading,-

(A) relating to column (1), the words "handled/" and "exported" shall be omitted;

(B) relating to column (6), the words "exported/" shall be omitted;

(C) relating to column (7), the words "or port of Export" shall be omitted.

D. K. SAMANTARAY, Chief Executive Officer

[No. ADVT. III/4/Exty./191-F/14]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification number F. No. 2-15015/30/2010, dated the 1st August, 2011.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.